प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद,
शाहमीनारोड,लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,
राजकीय / सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त,
संस्कृत माध्यमिक विद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक / सं0परि0 / 14885-15805 / 2021–22 दिनांक 31 अगस्त 2021

विषय– **माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाये जाने हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित करने के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया प्रायः यह देखने में आ रहा है कि प्रदेश में संचालित माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में छात्र संख्या का ह्रास तेजी से हो रहा है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। परिषद विनियमावली के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में न्यूनतम 105 छात्रों का निर्धारण किया गया है किन्तु अधिकांश विद्यालयों द्वारा उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्दि किये जाने एवं पाठ्यक्रम को रोजगारपरक बनाये जाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा के समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है। नवीन पाठ्यक्रम लागू होने के पश्चात् भी छात्र संख्या में वृद्वि न हो पाना विद्यालय की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। सभी विद्यालयों के प्रधान/शिक्षक वृहद अभियान चलाते हुए घर–घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित करें जिससे अधिक से अधिक छात्रों का प्रवेश हो सके। उन्हें यह भी अवगत करायें कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समान ही लागू है। कक्षा 6 से 8 तक छात्र / छात्राओं का निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एवं मिड–डे–मील की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गयी है।

अतः समस्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय में परिषद विनियमावली में निहित व्यवस्थानुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र से प्रथमा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में न्यूनतम 10–10 छात्रों का प्रवेश अनिवार्य रूप से लेंगे। जिन विद्यालयों में प्रथमा की छात्र संख्या शून्य होगी उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। विद्यालय में कक्षावार छात्र संख्या की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 01–10–2021 तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रवेश संबंधी सूचना का प्रारूप

विद्यालय का नाम ....

कक्षा	**विद्यालय में प्रवेश प्राप्त**		
प्रथमा–प्रथम	**बालक**	**बालिका**	**योग**
प्रथमा–द्वितीय			
प्रथमा–तृतीय			
पूर्व म0 प्रथम			
पूर्वम0 द्वितीय			
उ0म0 प्रथम			
उ0म0 द्वितीय			

भवदीय
31.8.2021
(राधा कृष्ण तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद,
संस्कृत भवन–2, शाहमीना रोड, लखनऊ।

पृ0सं0 : सं0परि0 / / 2021–22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा संस्कृत अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक(मा0) एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशा उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अपने मण्डल से संबंधित माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को प्रथमा कक्षा–6, 7 एवं कक्षा–8 में छात्रों के प्रवेश की अनिवार्यता के संबंध में निर्देशित करें, तथा विद्यालयों के निरीक्षण में पायी गयी प्रवेश की स्थिति से निरीक्षण प्रपत्र के माध्यम से परिषद को निर्धारित तिथि तक वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद,
संस्कृत भवन–2, शाहमीना रोड, लखनऊ।